रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042020-218985
CG-DL-E-01042020-218985

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1095] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2020/चैत्र 11, 1942
No. 1095] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2020/CHAITRA 11, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2020

सं. 58/2015–2020

विषय : लोहा और इस्पात की आयात नीति में संशोधन करने और आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 72, 73 और 86 में नीतिगत शर्त को शामिल करने के संबंध में।

का.आ. 1231(अ).—समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 05 सितम्बर, 2019 के का. आ. 3214(अ) के तहत भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित अधिसूचना सं. 17/2015–2020 दिनांक 05 सितम्बर, 2019 के द्वारा शामिल नीतिगत शर्तों के भाग ड. को निम्नानुसार संशोधित करती है:

ग. इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) के लिए आयातकों को अनुलग्नक में मदों के आयात हेतु ऑनलाईन प्रणाली में अग्रिम सुचना प्रस्तुत करना आपेक्षित होगा और सीआईएफ मूल्य के न्यूनतम 500 रु. और अधिकतम 1 लाख रु. के अध्यधीन एक रुपया प्रति हजार पंजीकरण शुल्क का भुगतान करके स्वचालित पंजीकरण संख्या प्राप्त करना होगा। आयातक आयात खेप के

आने की अनुमानित तिथि से कम से कम 60 दिन पहले पूर्व और अधिकतम 15 दिन के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रकार दी गई स्वचालित पंजीकरण संख्या 75 दिनों की अवधि के लिए मान्य रहेगी।

टिप्पणी : कोविड 19 के फैलने की वजह से शिपमेंटो में विलंब होने को ध्यान में रखते हुए दिनांक 31.03.2020 तक स्वचालित रूप से जारी पंजीकरण संख्या डीजीएफटी की अधिसूचना सं. 17 दिनांक 05.09.2019 द्वारा अधिसूचित 75 दिनों की समयावधि से आगे 60 दिनों की समयावधि हेतु वेध रेहगी। वस्तुतः दिनांक 31.03.2020 तक स्वाचालित रूप से जारी पंजीकरण संख्या 135 दिनों की अवधि तक वैध रहेगी।

इस अधिसूचना का प्रभावः दिनांक 31.03.2020 तक एसआईएमएस के अंतर्गत स्वचालित रूप से जारी पंजीकरण संख्या की वैधता को 135 दिनों तक बढ़ाते हुए एक कालिक छुट प्रदान की गई है।

[फा. सं. 01/89/180/मोनी–5852/एएम–03/पीसी–2(क)/पार्ट-III/ई–2787]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

टिप्पणी : दिनांक 17 जनवरी, 2017 की प्रधान अधिसूचना संख्या 36/2015–2020 भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 17 जनवरी, 2017 के का.आ. 172(अ) के तहत प्रकाशित की गई थी और दिनांक 05 सितम्बर, 2019 की अधिसूचना सं. 17/2015–2020 के तहत संशोधित और दिनांक 05 सितम्बर, 2019के का.आ. 3214(अ) और दिनांक 13 नवम्बर, 2019 की अधिसूचना सं. 32/2015–2020 के तहत संशोधित और दिनांक 13 नवम्बर, 2019 के का.आ. 4096(अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2020

No. 58/2015-2020

Subject: Amendment in import policy of Iron & Steel and incorporation of policy condition in Chapter 72, 73 and 86 of ITC (HS), 2017, Schedule – I (Import Policy).

S.O. 1231(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends Para (c) of the Policy conditions incorporated *vide* Notification No.17/2015-2020 dated 5th September, 2019 published in the Gazette of India (Extra-ordinary) *vide* S.O. 3214(E) dated 5th September, 2019, as under:

c. The Steel Import Monitoring System (SIMS) shall require importers to submit advance information in an online system for import of items in the Annex and obtain an automatic Registration Number by paying registration fee of Rs.1 per thousand subject to minimum of Rs.500/ and maximum of Rs. 1 lakh on CIF value. The importer can apply for registration not earlier than 60th day and not later than 15th day before the expected date of arrival of import consignment. The automatic Registration Number thus granted shall remain valid for a period of 75 days.

Note: The automatic registration number generated till 31.03.2020 shall remain valid for a period of 60 days beyond the 75 day period notified vide DGFT Notification No. 17 dated 05.09.2019, in view of delays in shipments due to COVID-19 breakout. In effect, the automatic registration number generated till 31.03.2020 shall remain valid for a period of 135 days.

Effect of the Notification : One-time relaxation is provided through extension of validity to 135 days of the automatic registration number generated under SIMS till 31.03.2020.

[F. No. 01/89/180/Moni-5852/AM-03/PC-2(A)/Part-III/e-2787]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.

Note : The principal notification No. 36/2015-2020, dated the 17th January, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number S.O. 172(E), dated the 17th January, 2017 and amended vide Notification No.17/2015-2020 dated 5th September, 2019 and published in the Gazette of India *vide* S.O. 3214(E) dated 5th September, 2019 and amended *vide* Notification No. 32/2015-2020 dated 13th November, 2019 and published in the Gazette of India *vide* S.O. 4096(E) dated 13th November, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA